

पत्रांक 169 /2भू0आ0

दिनांक 07/02/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग  
पौड़ी गढ़वाल।

**विषय:-** जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी-भैड़गांव-गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु 1.796 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या 8वी०/यू०सी०पी०/06/170/2015/556 दिनांक 21.06.2016, आपका पत्रांक 2321/12-1 दिनांक 20.01.2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं० 1629/1जी-5057, दिनांक 05.01.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.592 हे० ग्राम बडेथ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं० 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित भूमि 3.992 हे० ग्राम बडेथ सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु ₹ 827245.00 (आठ लाख सत्ताईस हजार दो सौ पैतालिस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि ग्राम बडेथ जिला पौड़ी गढ़वाल की सिविल एवं सोयम भूमि का क्षेत्रफल 3.992 हे० को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं० 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ₹ 1119972.00 (ग्यारह लाख उन्नीस हजार नौ सौ बहत्तर) मात्र एन०पी०वी० की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, चालान की प्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	शर्त सं० 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा, (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण कैम्पा के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी	शर्त सं० 4 के अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि ऑन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर कैम्पा कोष देहरादून में चालान सं० 14859 के माध्यम से जमा कर दी गई है (चालान की प्रति संलग्न है)।

07/02/22

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
पौड़ी गढ़वाल

	सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	
5	सड़क के निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा <b>central verge</b> पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख-रेख में <b>strip plantation</b> की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या - 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहा सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा <b>central verge</b> पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग की देख रेख पर <b>strip plantation</b> किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जा रही है। तथा उपरोक्त मोटर मार्ग में साइड वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु रू0 885725.00 (आठ लाख पिचासी हजार सात सौ पच्चीस) मात्र का वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है।
6	राज्य सरकार हार्ड कापी में प्रस्तुत किया गया वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र तथा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित मार्ग का हर 200-300 मी0 पर <b>Gea-coordinates</b> दिखाते हुये डिजिटल मानचित्र को <b>Online Part-1</b> पर भी <b>upload</b> करें।	शर्त सं0-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग का <b>Gea-coordinates of proposed road may be shown at a regular interval of 200 m to 300 m including all turning point curves along the alignment in this map</b> की प्रति उपलब्ध करा दी गई है तथा वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया गया है।
	सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन आख्या आवश्यक शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जायेगा।	प्रेषित करने के पश्चात विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित अन्य
1	वन भूमि की विधित परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधित परिस्थिति नहीं बदले जाने के लिये बचनबद्ध है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने के लिये बचनबद्ध है (प्रमाण पत्र संलग्न)।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.592 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सं0 3 के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि जो राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/रोपान्तरित किया जायेगा, भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। <b>Guideline para 2.4 (i)</b> के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने के लिये वचनबद्ध है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूर/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाये जाने के लिये बचनबद्ध है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फिट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर <b>Forward</b> एवं <b>Back bearing</b> अंकित किया जायेगा।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आर0सी0सी0 पिलर मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाये जायेंगे, जिन पर <b>Forward</b> एवं <b>Back bearing</b> अंकित किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस एवं कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकट वर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईंधन दिये जाने पर सहमत एवं बचनबद्ध है।
7	परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियां एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।	शर्त सं0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास की वनस्पति एवं वन जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य के किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	शर्त सं0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण कटिबद्ध है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा, जिस

07/02/22  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
पैडी गढवाल

		हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 133 से अधिक न हो।	शर्त सं0 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
10	सड़क के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल ब्रिज पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन किया जायेगा।	शर्त सं0 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त स्ट्रीप प्लान्टेशन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
11	परियोजना निर्माण से उपर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण परियोजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा, एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्त सं0 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण सम्बन्धी सभी दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश यदि इस प्रकार प्रस्ताव पर लागू होता है तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	यदि विधिवत स्वीकृति में दिये गये शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	शर्त सं0 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण इस बात के लिये बचनबद्ध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्राप्त समस्त शर्तों का कड़ाई से पालन किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नों के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

07/102/22  
(इं0 धन सिंह कुटियाल)  
अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौडी

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 धन सिंह कुटियाल)  
अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौडी

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी-भैंड़गांव-गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु 1.796 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दोनों किनारों पर Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

*amk*


सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
पौड़ी गढ़वाल


*[Signature]*

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
पौड़ी गढ़वाल

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी-भैंडगांव-गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार कार्य में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुति एवं भू-वैज्ञानिक के द्वारा दिये गये सुझाव का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
पौड़ी गढ़वाल

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
पौड़ी गढ़वाल

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी-भैंड़गांव-गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार कार्य का नव निर्माण कार्य के समय न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

*ank*  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
पौड़ी गढ़वाल

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
पौड़ी गढ़वाल




कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी




E Mail ID:- eepwcdcpauri@gmail.com, eepwcdcpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी-भैंडगांव-गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु 1.796 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन हेतु यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
पौड़ी गढ़वाल

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
पौड़ी गढ़वाल

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

संख्या 1573/8-एल0ए0सी0/2016-17 दिनांक पौड़ो 21, जनवरी, 2017

॥ आदेश ॥

75/2/2017  
दिनांक-24/1/17

उपजिलाधिकारी, सतपुली की आख्या दिनांक 21.12.2016 के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड पौड़ी द्वारा प्रस्तावित भेंड़गांव-गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिनलखोली जजेड़ी तक विस्तार कार्य के 1.796 है० वन भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग पौड़ी के नान इस्तान्तरण के सम्वन्ध में संगलाकोठी, भेंड़गांव, गुडिण्डा, बड़ेथ तक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (लैंड बैंक) खेत सं० 157 मध्ये 3.992 है० भूमि प्रस्तावित की गई है। यह भूमि ग्राम बड़ेथ की नान०जेड०ए० खतौनी खाता सं० 11 में श्रेणी 9(3) के अन्तर्गत बंजर के रूप में दर्ज है इत भूमि पर कोई मन्दिर, मस्जिद, शानशानघाट नहीं है।

2- शासनादेश संख्या-2173/XVII(2)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20.000 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधाधिकृत किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के भेंड़गांव, गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिनलखोली, जजेड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी, सतपुली की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम बड़ेथ की नान०जेड०ए० खतौनी खाता सं० 11 में श्रेणी 9(3) मध्ये 3.992 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नान इस्तान्तरण एवं नानान्तरण किये जाने की स्वाकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सतपुली तदनुसार अभिलेखों में अनलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)  
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 :- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
- 2 :- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3 :- नोडल अधिकारी, /प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन विभाग, पौड़ी।
- 4 :- अधिरासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- 5 :- उपजिलाधिकारी /तहसीलदार, सतपुली।

(चन्द्रशेखर भट्ट)  
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

Photo Copy Attestd

*Paul*  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri



श्री ६/०३/१७

क्र.सं.	वि.सं.	नाम	निर्माण क्रम					विवरण	दि.सं.	
			आवक	खर्च	शुद्ध	अंश	रकम			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

श्री ६/०३/१७ के आदेश संख्या 1032/8 एल० ए० सी०/२०१७-१७  
 के अनुसार लोक निर्माण विभाग निमा सं २०६३ द्वारा  
 १५ कुंडल गाँव में १५ मीटर का तिमला पाल, जगदी तक मोटर भाग  
 एन० एम० में १५ मीटर निदेशानुसार ग्राम पंचायत की 1/0/1/2-A  
 संख्या 11 में श्रेणी 9(3) में क्षेत्र नं० 157 में क्षेत्र 3.992 हेक्टर पर  
 25 वृक्षाणुप० हेतु कम विभाग के नाम हस्तांतरण एव  
 कम जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती है। हस्तांतरण प्रमाण  
 जारी गृहनाल ह० संख्या R.P.D. 20-2-2017 हस्ताक्र ५

३-३-२०१७  
 श्री ६/०३/१७

1/0/1/2-A संख्या की तबका असल लेंडी,  
 07/4/2017

उपस्थित जेडनाला  
 उप बाजार निरीक्षण  
 पट्टी - की लाना 15-11  
 तहसील - लखीमपुर  
 जिला - पुरी

Photo Copy Attestd  
 Assistant Engineer  
 C.D. P.W.D Pauri

संख्या - १०३६६ दिनांक १५/०५/२०१९

क्र.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.	सं.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
12	9572	श्री. अ. (31/8)	-	26	0.034		
				45	0.376		
				47	0.063		
				✓ 157	5.516		
				158	0.070		
				167	0.129		
				269	0.013		
				271	0.018		
				361	0.058		
				415	0.018		
				498	0.008		
				499	0.035		
				500	0.013		
				501	0.120		
				504	0.083		
				586	0.095		
				756	0.026		
				758	0.024		
				803	0.031		
				809	2.381		
				853	0.049		
				986	0.006		
				993	0.070		
				994	0.060		
				1148	0.021		
				1167	0.010		
				1302	0.010		
				1369	0.006		
				1467	0.020		
				1575	0.008		
				1584	0.272		
				1590	0.024		
				1605	0.050		
				1692	0.019		
				1770	0.015		
				1853	0.026		
				1857	0.030		
				1861	0.015		
				1967	0.010		
				2064	0.008		
				2156	0.672		
				2159	0.241		
				2234	0.322		
				2430	0.489		

Photo Copy Attestd  
*Car*  
 Assistant Engineer  
 C.D. P.W.D Pauri

15/05/19



संख्या

प्रस्तावित वन  
नक़्शे

तारीख

प्रस्तावित जिलाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

संख्या: 157 / 80क - 2016-17 दिनांक 21.1.2017

विषय:- भैडगांव-गुडिन्डा-मोटर मार्ग के तिलखोली जजेड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.992 है० हेतु नूनि अतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि भैडगांव गुडिन्डा मोटर मार्ग के तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार कार्य के लिए जिला अधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1033/8-एल०ए०सी०/2016-17 दिनांक 21.1.2017 के द्वारा ग्राम बडेथ पट्टी कोलागाड की नोन जेड ए-खतौनी खाता संख्या 11 श्रेणी 9(3) मध्ये खसरा सं० 157 मध्ये 3.992 है० नूनि को अतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम बडेथ पट्टी कोलागाड-2 में नोन जेड ए खतौनी खाता संख्या 11 में उक्त स्वीकृत नूनि वन विभाग के नाम अन्तर्धान किया गया है।

महोदय

(सुधीर चन्द शर्मा)  
जिलाधिकारी जलसंधारण

Photo Copy Attested  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri

!!! कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)!!!  
पत्रांक- 72 / 12-1, दिनांक, पोखड़ा...../2.....अगस्त 2017.

सूचना

वन सहायक/प्रभागोप वनाधिकारी  
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में भैड़गांव-गुड़िगंडा मोटर मार्ग के तिलखोली-जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के बदले में वन विभाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में जांच आख्या ।

सन्दर्भ-

आपका पत्रांक \*2227 / 12-1, दिनांक 03 फरवरी 2017

संदर्भ

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 341/12-1, दिनांक 10.02.2017 के अनुसार विषयगत योजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित एवं हस्तान्तरित भूमि की श्री विशम्भर दत्त वन दरंगा बरसुण्डा अनुभाग से स्थलीय जांच करवाई गयी। श्री विशम्भर दत्त वन दरंगा, श्री दिनेश लाल वन बीट अधिकारी द्वारा श्री विनोद सिंह रावत राजस्व उप निरीक्षक पट्टी-कोलागाड ।। तहसील-सतपुली तथा निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द्र अभिकर्ता के साथ दिनांक 19.05.2017 को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया ।

सलग्न-मूल संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 के अनुसार चयनित क्षेत्र ग्राम-बड़ेंध, पट्टी- कोलागाड तहसील- सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के खतौनी खाता संख्या-11 खेत संख्या 157 मध्ये श्रेणी- 9 (3) ड गंजर चत्तराखण्ड सरकार दर्ज 3.992 है० (नॉन०जेड०ए०) भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयगत परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित तथा हस्तान्तरित भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मूल में सलग्न कर सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,



  
वन क्षेत्राधिकारी  
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)।

Photo Copy Attested


  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri


योजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढवाल में लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड पौड़ी द्वारा प्रस्तावित भैड़गांव-  
गुड्डिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली-जजेडी तक विस्तार कार्य हेतु राज्य सरकार के अधीन  
सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत योजना के सम्बन्ध चयनित क्षेत्र ग्राम-बड़ैथ, पट्टी-कोलागाड,  
इन्दौर सतपुली, पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत खाता संख्या-11 नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9 (3) बंजर वर्ज नध्ये 3.992  
हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित तथा वन विभाग को हस्तान्तरित एवं नानान्तरित स्थल ग्राम-बड़ैथ की  
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित एवं चयनित सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित एवं प्रस्तावित भूमि में Moderately Dens Forest (MDF) एवं  
Very Dens Forest (VDF) विद्यमान नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

  
वन क्षेत्राधिकारी  
पौखड़ा रेंज (पौखड़ा)।

  
(विरामर वत्त)  
वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी  
बरसुण्डा अनुभाग।


  
(दिनेश लाल)  
ब०००३०

Photo Copy Attestd

  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri

Challan

**AGENCY COPY**

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund  
Date : 13-07-2016

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	ROAD101682015995
Address.	Construction Division PWD Pauri, Pauri Garhwal Pauri Garhwal
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eepwdcdpauri@gmail.com
Mobile No.	9634412527
Landline No.	1368-222234
Amount (in Rs)	2892942/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words: Twenty-Eight Lakh Ninety-Two Thousand Nine Hundred and Forty-Two Rupees Only

अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण विभाग, लौन्गि वि०  
(Signature) पौड़ी कोड सं०- 1421  
Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
14859	

- Branches should use CMS menu (FCS & CARS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

**CAMPA-MOEF Copy**

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund  
Date : 13-07-2016

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	ROAD101682015995
Address.	Construction Division PWD Pauri, Pauri Garhwal Pauri Garhwal
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eepwdcdpauri@gmail.com
Mobile No.	9634412527
Landline No.	1368-222234
Amount (in Rs)	2892942/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words: Twenty-Eight Lakh Ninety-Two Thousand Nine Hundred and Forty-Two Rupees Only

अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण विभाग, लौन्गि वि०  
(Signature) पौड़ी कोड सं०- 1421  
Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
14859	

- Branches should use CMS menu (FCS & CARS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: <http://forestsclearance.nic.in/UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD101682015995>

**Photo Copy Attested**  
  
**Assistant Engineer**  
U.D. P.W.D. Pauri

FORM-II  
(For projects other than linear projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Garhwal

Dated: 11/02/15

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN  
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of

India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on  
admission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under  
the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,  
2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is  
certified that ..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ..... (name of user  
agency) for ..... (purpose for diversion of forest land) in ..... district falls within jurisdiction of .....  
tehsil(s) in ..... tehsils.

is further certified that:

The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been  
carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records  
of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-  
Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure  
...to ...annexure....

The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in  
vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-  
dwellers, who are eligible under the FRA;


The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the  
FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion  
and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and  
details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s)  
is enclosed as annexure..... to annexure.....

The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a  
quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under  
section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their  
consent to it;

The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable  
have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA  
as above.

  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri

Photo Copy Attested  
  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri



FORM-I  
(For linear projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Garhwal

Dated-- 11/3/15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the-forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.796 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division. P.W.D. Pauri for Construction of Sanglakoti-Bhairgaon-Gudinda upto Tilkholi-Jajeri (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within the jurisdiction of Gudinda-Sald-Tilkholi-Jajeri-Badolgaon village (s) in Satpuli tehsils.

It is further certified that:

The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.796 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to ...annexure....

The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-historic communities.

As above.

11.3.15  
(Chandra Shekhar Bhatt)  
District Collector, Garhwal

अधीक्षक  
प.व.द.

Photo Copy Attestd  
Chandra  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri

आदेश-2015

संख्या 100/2015 दिनांक 26/11/2015

कार्यालय वन विभागाधीन  
अतिरिक्त जंगल अधिकारी आर पदनाममात जनजाती अधिनियम 2008 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड प्रोड्डा परिषद के अन्तर्गत अतिरिक्त (1.196 हे० आरक्षित वन भूमि 0.497 हे० सिविल वन  
संयोजक वन भूमि 0.161 हे० वन प्रदायक भूमि, अर्थात् कुल 1.796 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लौ०नि०वि०, प्रोड्डा  
प्रयोगिता एजेंसी के पास में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वना  
अधिकारों की गारंटी) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (सहजोल सतपुरी) की दिनांक  
26/11/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गारंटी) अधिनियम 2008

- श्री. सोहन सिंह - जिलाधिकारी
- श्री. अनूप कुमार - उप प्रमाणीय वनाधिकारी
- श्री. रमेश चन्द्र - सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- श्री. मोहोदी सी० क्षेत्र - सदस्य
- श्री. अध्यक्ष - अध्यक्ष
- श्री. उप प्रमाणीय वनाधिकारी - उप प्रमाणीय वनाधिकारी
- श्री. गठवृत्त वन प्रभाग - गठवृत्त वन प्रभाग
- श्री. सदस्य - सदस्य
- श्री. सदस्य - सदस्य


उपरोक्त अधिनियम द्वारा सौजन्य सदस्यों को संयोजक के रूप में नियुक्त करने हेतु उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची

के तहत हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची में उक्त वन भूमि को शामिल करने का प्रस्ताव


संयोजक उप प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वनाधिकारों की गारंटी) अधिनियम 2008 एवं संसदीय विधायक नियम 2008 के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए


Photo Copy Attestd  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri

उपखण्ड वन अधिकार समिति के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोज्यता एजेंसी को जंगल में लक्ष्य अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किए जाने पर सहजलि व्यक्ति की नयी।

  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-सतपुरी  
जनपद पौड़ी गढ़वाल


प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-सतपुरी  
जनपद पौड़ी गढ़वाल


**Photo Copy Attested**  
  
**Assistant Engineer**  
**C.D. P.W.D Pauri**


It is Further Certified that minutes of meeting of construction of Sanglakoti-Bhedgaon-Gudinda Motor road upto Tilkholi-Jajeri (12.000 Km) regarding FRA is as following

Sl. No.		Remark.
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire <u>1,796 hectares</u> of forest area proposed for Diversion. A Copy of record of all consultations and meeting of the forest rights Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

  
District Board  
Pauri Garhwal

  
District Social Welfare Officer  
Pauri Garhwal

  
District Engineer  
Pauri Garhwal

  
Executive Engineer  
Construction Division  
Pauri Garhwal



  
4.2.15  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri

Photo Copy Attested  
  
Assistant Engineer  
C.D. P.W.D Pauri

प्राचर-30.1

Annexure.....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Pauri (U.K.)

No - 169/A.O.-P.W.D. - 2014-15 - 19115 - 10-02-2015  
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under  
 schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act  
 (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekher Bhatt, I.A.S, deputy commissioner, Pauri on dated 4.12.2015 at time 11:30 am. at Pauri in which the application claiming rights in ..... area measuring 1.796 Hectare for the construction of Sanglakoti-Bhedgaon-Gudinda Motor Road upto Tilkholi-Jajeri of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhra sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri.

Dated:

  
 Deputy Commissioner-cum-Chairman  
 District Level Committee.

**Photo Copy Attestd**  
  
 Assistant Engineer  
 C.D. P.W.D Pauri.